W/R

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1) अपील /डिक्री/टीए/4109 /1999/टोंक

1— कल्याण पुत्र भूरा उर्फ भंवरीलाल मीणा (फौत) के कायम मुकामः—
1/1. शंकरलाल पुत्र कल्याण
1/2. शिवप्रकाश पुत्र कल्याण
1/3. मु0छीमीदेवी बैवा कल्याण
1/4. रूकमणी पुत्री कल्याण
1/5. बरदी पुत्री कल्याण
1/6. छोटादेवी पुत्री कल्याण
सभी जाति मीणा निवासी जगपुरा तहसील निंवाई जिला टोंक।
2— मु0 भूरी विधवा काना मीणा
3— नारायण पुत्र काना
4— लक्ष्मण पुत्र काना
5— श्योजी पुत्र काना
6— डालू पुत्र काना
7— मु0 धन्नी पुत्री काना
8— मु0 मांगी पुत्री काना
समस्त सा0 काचरिया तहसील निंवाई जिला टोंक।
9— भागीरथ पुत्र जगन्नाथ मीणा (फौत) के कायम मुकामः—
9/1. बद्री पुत्र भागीरथ
9/2. पप्पू पुत्र भागीरथ
9/3. सीताराम पुत्र भागीरथ
9/4. शंकर पुत्र भागीरथ
9/5. छोटू पुत्र भागीरथ
9/6. कैलाश पुत्र भागीरथ
9/7. पार्वती पुत्र भागीरथ
9/8. मु0 मंगली बैवा भागीरथ
समस्त जाति मीणा निवासी काचरिया चनानी, तहसील निंवाई जिला टोंक।
10— मु0 नानगी पुत्री जग्न्नाथ मीणा साकिन नागल्या तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
11— मु0 ग्यारसी बैवा श्रीबख्श मीणा निवासी श्रीजगपुरा तहसील निंवाई। (नाम तर्क)
12— मु0 ज्याना बेवा नानगा मीणा निवासी श्रीजगपुरा तहसील निंवाई।
13— रामस्वरूप पुत्र नानगा (फौत) के कायम मुकामः—
13/1. गणेश पुत्र रामस्वरूप
13/2. राजाराम पुत्र रामस्वरूप
13/3. फोरन्ती पुत्र रामस्वरूप
13/4. बाबूडी बेवा रामस्वरूप
समस्त जाति मीणा निवासी श्रीजगपुरा पोस्ट सुनारा तहसील निंवाई जिला टोंक।

14– रामलाल पुत्र नानगा
15– मु0 रामकी पुत्री नानगा
16– मु0 ममता पुत्री नानगा
17– जगदीश पुत्र श्रीबख्श
18– कमला पुत्री श्रीबख्श
19– बाबू पुत्र श्रीबख्श नाबालिग द्वारा संरक्षक माता ग्यारसी अपी0सं0–5
20– बाबूलाल पुत्र पोखर
21– नारायण पुत्र पोखर
22– ग्यारसीलाल पुत्र पोखर
23– लक्ष्मीनारायण पुत्र पोखर
24– मु0 मूली बेवा पोखर
समस्त जाति मीणा निवासी श्रीजगपुरा तहसील निवाई जिला टोंक।
25– कंवरीलाल पुत्र जगन्नाथ
26– हुक्मचंद पुत्र जगन्नाथ
27– गोपाल पुत्र जगन्नाथ
28– मु0 रामप्यारी पुत्री जगन्नाथ
29– मु0 चंदी पुत्री जगन्नाथ
30– मु0 धापू पुत्री जगन्नाथ
31– मु0 भूली पुत्री जगन्नाथ
समस्त जाति मीणा, सा0 काचरिया तहसील निंवाई जिला टोंक।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– नानगा पुत्र श्रीबख्श
2– चंदा पुत्र श्रीबख्श
3– मु0 पप्पूडी पुत्री श्रीबख्श
4– मु0 मोहरी देवी बेवा श्रीबख्श (नाम तर्क)
5– मूल्या पुत्र रामनाथ मीणा
6– नारायण पुत्र रामनारायण
7– लालू पुत्र रामनाथ मीणा नाबालिग द्वारा संरक्षक माता मु0चमना
8– मु0 प्रभाती पुत्री रामनाथ
9– मु0 मंगली पुत्री रामनाथ
10– मु0 चमना बेवा रामनाथ (नाम तर्क)
11– मु0 पांची पुत्री रामनाथ
12– मु0 गट्टो पुत्री रामनाथ
समस्त जाति मीणा निवासी श्रीरामपुरा का नागल्या तहसील सांगानेर।
13– मु0 धापू बेवा भंवरिया
14– छीतर पुत्र भंवरिया
15– छालू पुत्र भंवरिया

16— मु0 मोंली पुत्री भंवरिया
17— मु0 गोमा पुत्री भंवरिया
समस्त निवासी श्रीरामपुरा का नागल्या तहसील सांगानेर।
18— जगन्नाथ पुत्र गुल्ला मीणा (फौत) के कायम मुकामः—
18/1. कालूराम पुत्र जगन्नाथ मीणा निवासी हमीरपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा
19— किशना पुत्र गुल्ला मीणा
20— रामप्रताप पुत्र गुल्ला मीणा
21— माधो पुत्र गुल्ला मीणा
समस्त निवासी हमीरपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
22— कल्याण पुत्र मोती मीणा निवासी चांदपोल दरवाजा जयपुर।
23— प्रेमकुमार पुत्र लादू
24— विनोद कुमार पुत्र लादू
25— मु0 रांजती पुत्री लादू
26— मु0 मुन्नी देवी बेवा लादू
समस्त निवासी चांदपोल दरवाजा जयपुर।
27— बाबूलाल पुत्र आनन्दा मीणा
28— मु0 लाडा बेवा आनन्दा मीणा
29— हरला पुत्र रामचन्द्रा मीणा
समस्त जाति मीणा निवासी काचरिया तहसील निंवाई, जिला टोंक।
30— लाला पुत्र गोपी मीणा (फौत) के कायम मुकामः—
30/1. बिरदी पुत्र लाला
30/2. मूकली पुत्री लाला
30/3. भूरी पुत्री लाला
30/4. छोटा पुत्री लाला
30/5. कम्मू पुत्री लाला
समस्त जाति मीणा निवासी काचरिया चनानी तहसील निंवाई, टोंक।
31— गंगाराम पुत्र मूल्या
32— जगदीश पुत्र मूल्या
33— केसरा पुत्र मूल्या
34— लक्ष्मीनारायण पुत्र मूल्या
35— मांग्या पुत्र मूल्या
36— प्रतापा पुत्र मूल्या
37— छोटू पुत्र छाजू
38— मु0 बिरधी बेवा छाजु
39— लक्ष्मीनारायण पुत्र छाजु
40— हेमराज पुत्र छाजु
41— पांचू पुत्र सांवता मीणा (फौत) के कायम मुकामः—
41/1. गोपाल पुत्र पांचू
41/2. भगवान पुत्र पांचू
41/3. सीताराम पुत्र पांचू

41/4. सूरज पुत्र पांचू
41/5. कोशल्या पुत्री पांचू
41/6. प्रेम पुत्री पांचू
41/7. मन्नी पुत्री पांचू
समस्त जाति मीणा निवासी काचरिया तहसील निंवाई, जिला टोंक।

42– कल्याण पुत्र भैरू मीणा (फौत) के कायम मुकामः–
42/1. गंगाराम पुत्र कल्याण
42/2. जगदीश पुत्र कल्याण
42/3. केसरा पुत्र कल्याण
42/4. लक्ष्मीनारायण पुत्र कल्याण
42/5. मांग्या पुत्र कल्याण
42/6. प्रताप पुत्र कल्याण
समस्त जाति मीणा निवासी काचरिया चनानी तहसील निंवाई, टोंक।

43– लाल पुत्र गोपी
44– घासी पुत्री झूंथा
45– कल्ली बेवा झूंथा
46– मु0 (नाम अंकित नहीं) पुत्री झूंथा
47– मु0 चौथी पुत्री झूंथा
समस्त जाति मीणा निवासी काचरिया तहसील निंवाई, टोंक।

..... **प्रत्यर्थीगण**

(2) अपील /डिक्री/टीए/4109 /1999/टोंक

1– कल्याण पुत्र भूरा उर्फ भंवरीलाल मीणा (फौत) के कायम मुकामः–
1/1. शंकरलाल पुत्र कल्याण
1/2. शिवप्रकाश पुत्र कल्याण
1/3. मु0छीमीदेवी बैवा कल्याण
1/4. रूकमणी पुत्री कल्याण
1/5. बरदी पुत्री कल्याण
1/6. छोटादेवी पुत्री कल्याण
सभी जाति मीणा निवासी जगपुरा तहसील निंवाई जिला टोंक।

2– मु0 भूरी विधवा काना मीणा
3– नारायण पुत्र काना
4– लक्ष्मण पुत्र काना
5– श्योजी पुत्र काना
6– डालू पुत्र काना
7– मु0 धन्नी पुत्री काना
8– मु0 मांगी पुत्री काना
समस्त सा0 काचरिया तहसील निंवाई जिला टोंक।

9– भागीरथ पुत्र जगन्नाथ मीणा (फौत) के कायम मुकामः–
9/1. बद्री पुत्र भागीरथ
9/2. पप्पू पुत्र भागीरथ
9/3. सीताराम पुत्र भागीरथ

9/4. शंकर पुत्र भागीरथ
9/5. छोटू पुत्र भागीरथ
9/6. कैलाश पुत्र भागीरथ
9/7. पार्वती पुत्र भागीरथ
9/8. मु0 मंगली बैवा भागीरथ
समस्त जाति मीणा निवासी काचरिया चनानी, तहसील निंवाई जिला टोंक।

10— मु0 नानगी पुत्री जग्न्नाथ मीणा साकिन नागल्या तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
11— मु0 ग्यारसी बैवा श्रीबख्श मीणा निवासी श्रीजगपुरा तहसील निंवाई। (नाम तर्क)
12— मु0 ज्याना बेवा नानगा मीणा निवासी श्रीजगपुरा तहसील निंवाई।
13— रामस्वरूप पुत्र नानगा (फौत) के कायम मुकामः—
13/1. गणेश पुत्र रामस्वरूप
13/2. राजाराम पुत्र रामस्वरूप
13/3. फोरन्ती पुत्र रामस्वरूप
13/4. बाबूडी बेवा रामस्वरूप
समस्त जाति मीणा निवासी श्रीजगपुरा पोस्ट सुनारा तहसील निंवाई जिला टोंक।
14— रामलाल पुत्र नानगा
15— मु0 रामकी पुत्री नानगा
16— मु0 ममता पुत्री नानगा
17— जगदीश पुत्र श्रीबख्श
18— कमला पुत्री श्रीबख्श
19— बाबू पुत्र श्रीबख्श नाबालिग द्वारा संरक्षक माता ग्यारसी अपी0सं0—5
20— बाबूलाल पुत्र पोखर
21— नारायण पुत्र पोखर
22— ग्यारसीलाल पुत्र पोखर
23— लक्ष्मीनारायण पुत्र पोखर
24— मु0 मूली बेवा पोखर
समस्त जाति मीणा निवासी श्रीजगपुरा तहसील निवाई जिला टोंक।
25— कंवरीलाल पुत्र जगन्नाथ
26— हुक्मचंद पुत्र जगन्नाथ
27— गोपाल पुत्र जगन्नाथ
28— मु0 रामप्यारी पुत्री जगन्नाथ
29— मु0 चंदी पुत्री जगन्नाथ
30— मु0 धापू पुत्री जगन्नाथ
31— मु0 भूली पुत्री जगन्नाथ
समस्त जाति मीणा, सा0 काचरिया तहसील निंवाई जिला टोंक।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1— जगन्नाथ
2— किशना
3— रामप्रताप
4— माधो
पुत्रान गोगा निवासी हमीरपुर तहसील व जिला जयपुर।
5— कल्याण पुत्र रमको मीणा
6— रामकुमार पुत्र लादू
7— विनोद कुमार पुत्र लादू
8— मु0 राजन्ती
9— मु0 मुन्नी देवी बेवा लादू
समस्त निवासीगण चांदपोल दरवाजा जिला जयपुर।
10— नानगा पुत्र श्रीबख्श
11— चन्दा पुत्र श्रीबख्श
12— मु0 पप्पूडीपुत्री श्रीबख्श
13— मु0 मोहरी देवी बेवा श्रीबख्श (नाम तर्क)
14— मूल्या पुत्र रामनाथ मीणा
15— नारायण पुत्र रामनारायण
16— लालू पुत्र रामनाथ मीणा
17— मु0 चुन्नी बेवा रामनाथ
18— प्रभाती पुत्री रामनाथ
19— मु0 मंगली पुत्री रामनाथ
20— मु0 पांची पुत्री रामनाथ
21— मु0 गट्टो पुत्री रामनाथ
समस्त जाति मीणा निवासी श्रीरामपुरा का नागल्या तहसील सांगानेर।
22— मु0 भूली पुत्री भंवरिया
23— मु0 धापू बेवा भंवरिया
24— मु0 गोमली पुत्री भंवरिया
25— छीतर पुत्र भंवरिया
26— छाजू पुत्र भंवरिया
27— बाबूलाल पुत्र आनन्दा
28— मु0 लाडा बेवा आनन्दा
29— रामचन्द्र पुत्र गोपी
30— लाला पुत्र गोपी
31— मु0 बिरधी बेवा छाजू मीणा
32— छोटूलाल पुत्र छाजू
33— लक्ष्मीनारायण पुत्र छाजू
34— मु0 मनसुखी पुत्री छाजू
35— हेमराज पुत्री छाजू

36— पांचू पुत्र सांवता मीणा (फौत) के कायम मुकामः—
- 36/1. गोपाल पुत्र पांचू
- 36/2. भगवान पुत्र पांचू
- 36/3. सीताराम पुत्र पांचू
- 36/4. सूरज पुत्र पांचू
- 36/5. कोशल्या पुत्री पांचू
- 36/6. प्रेम पुत्री पांचू
- 36/7. मन्नी पुत्री पांचू

समस्त जाति मीणा निवासी काचरिया तहसील निंवाई, जिला टोंक।

37— कल्याण पुत्र भैरू मीणा (फौत) के कायम मुकामः—
- 37/1. गंगाराम पुत्र कल्याण
- 37/2. जगदीश पुत्र कल्याण
- 37/3. केसरा पुत्र कल्याण
- 37/4. लक्ष्मीनारायण पुत्र कल्याण
- 37/5. मांग्या पुत्र कल्याण
- 37/6. प्रताप पुत्र कल्याण

समस्त जाति मीणा निवासी काचरिया चनानी तहसील निंवाई, टोंक।

38— घासी पुत्री झूंथा

39— लल्ली बेवा झूंथा

40— मु0 मांगी पुत्री झूंथा

41— मु0 चौथी पुत्री झूंथा

समस्त जाति मीणा निवासी काचरिया तहसील निंवाई, टोंक।

..... **प्रत्यर्थीगण**

खण्ड–पीठ
श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य
श्री आर.सी.गुप्ता, सदस्य

उपस्थित :
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री अजीत सिंह अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः–19–12–2013

1– हस्तगत दोनों द्वितीय अपीलें न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा अपील संख्या 345/93 व 439/93 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–08–1999 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1955') की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। चूंकि दोनों ही अपीलों में वादग्रस्त भूमि, वादरत पक्षकारान तथा विवाद का बिन्दु समान है, और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी दोनों प्रथम अपीलों का निस्तारण एक ही आलोच्य निर्णय दिनांक 20–08–1999 से किया है, अतः हमारे द्वारा भी हस्तगत् दोनों अपीलों का निस्तारण इस एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की एक एक प्रति दोनों पत्रावलियों पर रखी जावे।

2– हस्तगत दोनों अपीलों में निहित प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं किः–

(1) प्रारम्भ में वादीगण श्रीमती नानगी पत्नी कल्याण, श्रीमती गोगा पत्नी गुल्ला व श्रीमती रमकू पत्नी मोती ने दिनांक 19–09–1963 को एक दावा प्रतिवादीगण– जगन्नाथ पुत्र सुखदेव, गोपी पुत्र किशना, सेवा पुत्र किशना, मूल्या पुत्र भैंरू व छाजू पुत्र गोपी समस्त जाति मीणा के विरुद्ध न्यायालय सहायक कलेक्टर टोंक (विचारण न्यायालय) में वास्ते अधिकार उदघोषणा का प्रस्तुत, जो आवश्यक पक्षकार नहीं बनाये जाने के आधार पर खारिज कर दिया गया। अपील प्रस्तुत होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 11–04–1974 से अपील स्वीकार करते हुये वाद को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया, जिसके बाद अन्य प्रतिवादीगण 6 लगायत 14 को पक्षकार बना कर संशोधित दावा प्रस्तुत किया गया।

(2) वादीगण का अपने वादपत्र में अभिवचन है कि विवादित आराजी कुल किता 32 रकबा 72 बीघा 16 बिस्वा ग्राम काचरिया तहसील निंवाई जिला टोंक में अवस्थित है, जो श्रीमती शोभा बेवा चीमा की खातेदारी की भूमि थी। उक्त श्रीमती शोभा का फागुन संवत् 2014 में निधन हो चुका है। वादीगण स्व. श्रीमती शोभा की बेटियां तथा उसकी कायम मुकाम विधिक वारिसान हैं। उक्त श्रीमती शोभा एक वृद्ध औरत थी तथा उसने अपने दोहिते भंवरिया, जो नानगी का पुत्र है, को वादग्रस्त भूमि खेती करने तथा प्रबंध के लिये बता दी थी। श्रीमती शोभा के मरने के बाद भंवरिया ने विवादित आराजी प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 को बंटाई पर दे दी। उक्त चारों प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर काश्त करने लगे, किन्तु प्रतिवादी संख्या–1 जगन्नाथ उनके कब्जे–काश्त में दखलन्दाजी करने लगा तो प्रतिवादी संख्या 2 से 5 ने एक दावा विरूद्ध जगन्नाथ प्रस्तुत कर उसे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया। उसके बाद प्रतिवादी संख्या–2 से 5 के कब्जे से जमीन को कुर्क कर लिया गया। दौराने दावा प्रतिवादी जगन्नाथ ने विवादित आराजी का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया, जबकि वादीगण के विरुद्ध प्रतिवादी जगन्नाथ को कोई हक श्रीमती शोभा की वादग्रस्त भूमि पर नहीं था। इसलिये वादीगण ने दावा प्रस्तुत किया और यह अनुतोष चाहा कि श्रीमती शोभा की वादग्रस्त भूमि में वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे, प्रतिवादीगण 1 व 6 लगायत 14 के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण को निरस्त किया जावे, वादग्रस्त भूमि को वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे और अगर भूमि के किसी हिस्से पर प्रतिवादीगण का कब्जा हो तो उससे प्रतिवादीगण को बेदखल किया जा कर वादीगण को कब्जा दिया जावे।

(3) वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। दिनांक 22–11–1963 को प्रतिवादीगण 2, 3, व 4 के विरुद्ध तथा दिनांक 21–12–1974 को प्रतिवादीगण 11, 12, 13 व 14 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाने का आदेश दिया गया।

(4) प्रतिवादीगण 1 व 6, 7, 8, 9 व 10 ने अपना वादोत्तर (written statement) प्रस्तुत किया कि श्रीमती शोभा की खाता संख्या 139 की वादग्रस्त भूमि मोतीलाल, रामनाथ व भंवरया के रहन थी। रहन के दौरान मुरतहीन की तरफ से भंवरया काश्त की व्यवस्था करता था। श्रीमती शोभा के मरने के बाद सम्वत 2014 में प्रतिवादी संख्या–1 जगन्नाथ ने रामनाथ, भंवरया व मोतीलाल को रहन की राशि अदा करके भूमि को रहनमुक्त करा लिया। श्रीमती शोभा के मरने पर उसका क्रियाकर्म नुक्ता आदि भी प्रतिवादी जगन्नाथ ने ही किया, जिसमें काफी रुपया व्यय किया गया। इसलिये प्रतिवादी संख्या–1 जगन्नाथ ने श्रीमती शोभा की वादग्रस्त भूमि को गोपी, सेवा, मूलिया, खांगा, हरिनारायण मीणा व हरिनारायण महाजन के रहन

बिल कब्ज कर दी। इस पर गोपी, सेवा, आदि मुरतहीन काश्त करते रहे। वादोत्तर में यह भी कथन किया गया कि भंवरया द्वारा सेवा आदि को बंटाई पर भूमि दिया जाना गलत है। यह भी कथन किया गया कि श्रीमती शोभा के पति चीमा ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या–1 जगन्नाथ के चचेरे भाई हरबक्श को गोद लिया था और गोद की तहरीर भी तत्समय लिखी गयी थी। हरबक्श की मृत्यु हो चुकी है और प्रतिवादी संख्या–1 जगन्नाथ उसका कुटुम्बी है। वादोत्तर में जो वंशवृक्ष अंकित किया गया, वह निम्न प्रकार है:–

<table>
<tr><td colspan="4">चेना</td></tr>
<tr><td colspan="3">भवाना</td><td>रुपा</td></tr>
<tr><td colspan="3">जयकिशन</td><td>मु. शोभा बेवा चीमा</td></tr>
<tr><td>कुशला</td><td>काना</td><td>सुखदेवा</td><td rowspan="2">हरबक्श (गोद पुत्र)</td></tr>
<tr><td>हरबक्श
(गोद गया)</td><td>––</td><td>जगन्नाथ
(प्रतिवादी)</td></tr>
</table>

उपरोक्त वंशवृक्ष अनुसार चेना नामक पूर्व पुरुष के भवाना व रुपा दो पुत्र थे। रुपा की पुत्री शोभा थी, जो चीमा की पत्नी थी। चेना के दूसरे पुत्र भवाना के पुत्र जयकिशन था। जयकियान के तीन पुत्र कुशला, काना व सुखदेवा थे। कुशला का पुत्र हरबक्श था, जो चेना के दूसरे पुत्र रुपा की पुत्री श्रीमती शोभा व उसके पति चीमा के गोद चला गया। सुखदेवा का पुत्र जगन्नाथ है, जो प्रतिवादी संख्या–1 है। इस प्रकार जगन्नाथ उक्त हरबक्श को चचेरा भाई है। वादोत्तर में यह भी कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि को सम्वत 2020 में रहन से मुक्त करा लिया गया और राजस्व अभिलेख में जगन्नाथ का नाम बतौर खातेदार दर्ज हो गया। खातेदार प्रतिवादी संख्या–1 जगन्नाथ ने 21–07–1963 को भूमि का बेचान कल्याण पुत्र मोरीलाल, काना पुत्र कोरीलाल, पोखर पुत्र मोरीलाल, पॉचू पुत्र सांवता को कर दिया। इसके बाद कल्याण ने भूमि काना, जगन्नाथ व श्रीबक्श पुत्री कंवरीलाल को रजिस्टर्ड़ विक्रय पत्र दिनांक 28–08–1963 से बेचान कर दिया। इन सबका नामान्तरकरण 29–09–1963 को स्वीकृत हो चुका है। प्रतिवादीगण का यह भी कथन है कि जब तक उक्त विक्रयपत्रों को सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करा लिया जाता है, तब तक खातेदारी उदघोषणा बाबत वाद राजस्व न्यायालय में नहीं चल सकता है।

(5) वादपत्र और वादोत्तर के आधार पर विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, टोंक द्वारा दिनांक 03–04–1981 को निम्न प्रकार विवाद्यक विरचित किये गये:–

(1) आया आराजीयात मुतदाविया शिडूल दावा हाजा मु0 शोभा की खातेदारी में थी?

(1–ए) आया वादीगण विवादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है?

(2) आया मु. शोभा संवत् 2014 में ही मर गई थी?

(3) आया भंवरिया जो मु. शोभा का नवासा है, मु. शोभा की तरफ से आराजियात मुतवादिया को काश्त करता था और देखभाल करता था?

(4) आया मु. शोभा के मरने के बाद भंवरया ने आराजीयात मुतवादिया संवत् 2014 में मुदाअलेह नंबर–2 से 5 को बांटे पर बतला दी और तब से मुदाअलेह नंबर–2 से 5 इस जमीन को काश्त कर रहे है ?

(5) आया मुदाअलेह जगन्नाथ ने जमीन मुतदावया को अपने खाते में खिलाफ कानून लगवाई है, जो मनसुख होने लायक है?

(6) आया आराजीयात मुदाविया मु0 शोभा ने मोतीलाल व रामनाथ भंवरया के यहां रहन कर दी थी ?

(7) आया मु. शोभा के पति ने अपनी जिंदगी में मुदाअलेह जगन्नाथ के सगे चचेरे भाई हरबक्स को गोद लिया था और हरबक्स ही मुतवफफा चीमा का वारिस हुआ।

(8) आया हरबक्स के फौत होने के बाद जगन्नाथ मीना प्रतिवादी नं. 6 हरबक्स का वारिस हुआ?

(9) आया मुदाअलेह जगन्नाथ ने संवत् 2024 में शोभा के मरने पर जमीन मुतदावया को मुदाअलेह नबर–2 से 5 के पास रहन बिल कब्ज करके मु0 शोभा का नुक्ता किया था ?

(10) आया प्रतिवादी जगन्नाथ ने जेठ संवत् 2020 में मुदाअलेह नंबर–2 से 5 को जेर रहन करके जमीन वागुंजाशत करा दी?

(11) आया चामा के मरने पर उसका क्रियाकर्म व नुक्ता हरबक्स ने ही किया था?

(12) आया मुदायला जगन्नाथ ने तारीख 21–7–63 को कल्याण, काना, पोखर, पांचू को आराजीयात मतुदाविया में से कुछ जमीन फरोख्त की है उसका दावा हाजा पर क्या असर है?

(12–ए) आया कल्याण ने 28–8–63 को काना, जगन्नाथ व श्रीबक्श को और काना ने 20–8–83 को कल्याण, लाला व झूंथा को एवं पोखर ने दिनांक 28–8–63 को जगन्नाथ, काना व श्री बक्श को विवादग्रस्त भूमि में से कुछ जमीन विक्रय कर दी एवं उनके नाम दाखिल खारिज भी हो गया है और इसका दावे पर क्या असर है?

(13) आया अदालत हाजा को दावा सुनने का अधिकार नहीं है?

(13–ए) आया दावा वादीगण मियाद बाहर है?

(14) दादरसी?

(6) दोनों पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुये विचारण न्यायालय अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–1986 द्वारा

वादीगण का वाद डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–1986 के विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण ने, न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक में दो अलग अलग अपीलें प्रस्तुत कीं गयीं। अपील संख्या 345/93 उनवानी कल्याण व अन्य बनाम श्रीबक्श व अन्य तथा दूसरी अपील संख्या 439/93 उनवानी श्रीमती मोनी व अन्य बनाम कल्याण व अन्य। कल्याण आदि की अपील संख्या 345/93 विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–1986 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गयी, जबकि श्रीमती मोनी आदि की अपील संख्या 439/93 इस वास्ते प्रस्तुत की गयी कि विचारण न्यायालय द्वारा लगान की 15 गुणा पेनल्टी की राशि वादीगण को नहीं दिलाई गयी।

(7) न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक (प्रथम अपीलीय न्यायालय) ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20–08–1999 द्वारा कल्याण आदि वर्तमान अपीलार्थीगण की अपील संख्या 345/93 को खारिज कर दिया और श्रीमती मोनी आदि की अपील संख्या 439/93 को स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–1986 को इस संशोधन के साथ बहाल रखा गया कि वर्ष 1963 से लेकर निर्णय दिनांक 20–08–1999 तक प्रत्येक कृषि वर्ष के लिये लगान का 15 गुणा पेनल्टी अपील संख्या 439/93 के अपीलार्थीगण को उक्त अपील के प्रत्यर्थीगण द्वारा देय होगी।

(8) प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 20–08–1999 के विरुद्ध हस्तगत दोनों द्वितीय अपीलें कल्याण आदि अपीलार्थीगण द्वारा राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई हैं।

3– बहस उभयपक्ष दोनों अपीलों पर एक साथ सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने मुख्यतः अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये अभिकथन किया किः–

(1)– कि वादीगण श्रीमती रमको आदि द्वारा प्रस्तुत वाद व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 2 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। वादीगण द्वारा जानकारी को छिपा कर दावा प्रस्तुत किया है। वादीगण द्वारा गोपी, सेवा आदि द्वारा प्रस्तुत वाद को ध्यान में नहीं रखा जबकि गोपी, सेवा आदि द्वारा भी इसी वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होने वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा बताया है। वादीगण द्वारा भी उक्त भूमि पर अपना कब्जा अंकित किया है। वादीगण के वाद में असंगतता होने के बावजूद दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने वाद को डिक्री किया है जो सही निर्णय नहीं है।

(2) कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 2 नियम 1 की पालना करते हुये प्रस्तुत नहीं किया था और दावा आदेश 2 नियम 4 व 7 से प्रभावी था। किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त नियमों की अनदेखी करते हुये अपूर्ण एवं अस्पष्ट वाद को डिक्री करने में भूल की है।

(3) कि विचारण न्यायालय द्वारा केल 15 विवाद्यक विरचित किये गये, किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सभी विवाद्यकों का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजात के विरुद्ध किया गया है।

(4) कि जब भंवरिया श्रीमती शोभा की ओर से वादग्रस्त भूमि पर काश्त करता था तो भंवरिया को पक्षकार बनाना आवश्यक था और भंवरिया के विरूद्ध ही वाद लाया जाना चाहिये था।

(5) कि प्रतिवादी जगन्नाथ श्रीमती शोभा के गोदपुत्र हरबक्स का वारिस होने से वादग्रस्त भूमि का उत्तराधिकारी बखूबी साबित होने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा उसे नकार दिया गया, जो कि त्रुटिपूर्ण निर्णय है।

(6) कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान अनुसूचित जन जाति पर लागू नहीं है और इस कारण अनुसूचित जन जाति में पुत्रियों को सम्पत्ति में हिस्सा मिलने का प्रावधान नहीं है, किन्तु फिर भी वादीगण का दावा डिक्री किया गया है जो विधि के विपरीत है।

(7) कि जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में राजगामी (escheat) कानून के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी, जिसमें जगन्नाथ को श्रीमती शोभा का वारिस मान का कार्यवाही समाप्त की गयी थी। इसके बावजूद दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रतिवादी संख्या–1 जगन्नाथ को वादग्रस्त भूमि का वारिस नहीं मान कर तथा जगन्नाथ के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण को निरस्त करके तथ्यात्मक त्रुटि की है।

(8) कि वादीगण ने अपने वाद में कब्जा दिलाने बाबत संशोधन वर्ष 1984 में किया है, जिससे यह साबित है कि वादग्रस्त भूमि पर वाद दायरी के समय 1963 में वादीगण का कब्जा ही नहीं था। कब्जे के अभाव में वादीगण का अधिकार उदघोषणा का दावा चलने योग्य नहीं था। किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस तथ्य की अनदेखी करके दावा डिक्री किया है।

(9) कि विवादित आराजी में से 19 बीधा 4 बिस्वा भूमि श्रीमती शोभा ने मोती वगैरह के यहां रहन रखी थी जो प्रतिवादी जगन्नाथ ने मोती वगैरह को रहन की रकम जमा कराकर रहन से मुक्त करवा ली और वह शोभा का वारिस होने से इस भूमि का खातेदार हो गया। उक्त भूमि पर वादीगण किसी तरह के अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थे।

(10) कि विचारण न्यायालय ने वादपत्र व वादोत्तर के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम नहीं की है तथा उनका निर्णय आदेश 20 नियम 4 (2) के अनुसार नहीं है।

(11) कि विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या–13 पर कोई निर्णय ही पारित नहीं किया, जो कि मियाद के बिन्दु पर था। कब्जा प्राप्ति के दावे में मियाद का बिन्दु महत्वपूर्ण होता है, जिसका निर्णय किया जाना आवश्यक था।

अन्त में विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रस्तुत दस्तावेजात एवं साक्ष्यों आदि का सम्पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना ही वादीगण/ प्रत्यर्थीगण का वाद डिक्री किया है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर दोनों अपीलें स्वीकार की जावे।

5– उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने बहस में कहा किः–

(1) कि श्रीमती शोभा विवादित आराजी की मूल खातेदार थी तथा उसके कोई पुत्र नहीं था। तीनों वादीगण– श्रीमती नानगी पत्नी कल्याण, श्रीमती गोगा पत्नी गुल्ला व श्रीमती रमकू पत्नी मोती उसकी पुत्रियां हो कर वारिस हैं।

(2) कि वादीगण अनुसूचित जाति से सबंधित है जिन पर हिन्दु उत्त्राधिकार अधिनियम लागू नहीं होगा, किन्तु जब पुत्र वारिस नहीं हों तो लडकिया ही श्रीमती शोभा की वारिसान होने के आधार पर वे वादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्राप्त करने की सही रुप से अधिकारीणी हैं।

(3) कि इस प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 4 के तहत वादीगण अनुसूचित जनजाति की होने के बावजूद भी उन्हें श्रीमती शोभा से सबंधित विवादित आराजी पर विरासतन हक हकूक पैदा होते है।

(4) कि हरबक्स उक्त श्रीमती शोभा व उसके पति चीमा का गोद पुत्र होना साबित नहीं है। इसके अलावा वह अपने पिता का इकलौता पुत्र था और इकलौता पुत्र गोद नहीं दिया जा सकता है।

(5) कि श्रीमती शोभा के परिवार से जगन्नाथ का कोई रिश्ता ही नही तो वह उत्तराधिकारी कैसे बन सकता है?

(6) कि 2013 में श्रीमती शोभा की मृत्यु हुई है। उससे पहले ही चीमा की मृत्यु हो गयी थी। श्रीमती शोभा के वारिसान में केवल तीन पुत्रियां ही थी, जिससे उसकी मृत्यु पर नामान्तरकरण वादीगण/ पुत्रियों के नाम ही स्वीकृत किया जाना चाहिये था। जगन्नाथ का वादग्रस्त भूमि व श्रीमती शोभा से कोई रिश्ता नहीं होने के बावजूद उसके नाम नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ, जो गलत था।

(7) कि जगन्नाथ के नाम 1961 में नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ था और वादीगण ने दावा 1963 में प्रस्तुत किा था। अतः दावे को मियाद बाहर माने जाने का कोई कारण नहीं है। वैसे भी वादीगण का दावा धारा 88 अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत घोषणा का था और घोषणा के वाद के लिये कोई मियाद विधि में निर्धारित नहीं की गयी है। अगर 1963 के दावे में बाद में संशोधन भी किया गया है तो संशोधन की दिनांक को आधार बना कर वाद को मियाद बाहर नहीं माना जा सकता है क्योकि जब तक वाद का अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता है, जब तक मूल वाद ही निरन्तर माना जाता है।

(8) कि हस्तगत प्रकरण में वाद का श्रवण–क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का ही है क्योंकि दावा घोषणा का है जो धारा 88 सपठित तृतीय अनुसूची प्रविष्टि 5 अनुसार सहायक कलेक्टर के न्यायालय में ही चलने योग्य है।

(9) कि अपीलार्थीगण का विवादित आराजी से कोई सरोकार नहीं है एवं न ही वह किसी तरह से मृतक श्रीमती शोभा के वारिस साबित है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निर्णय पारित किये गये हैं जिनमें ऐसी कोई विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं की गयी है कि द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित हो।

उपरोक्त तर्कों के साथ विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपने तर्कों के समर्थन में कतिपय न्यायिक दृष्टान्त भी प्रस्तुत किये हैं जिनके सम्बन्ध में एतदपश्चात अनुच्छेदों में यथास्थान चर्चा की जावेगी।

6– अपील ज्ञापनों में वर्णित तथ्यों और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों में संलग्न दस्तावेजात एवं दोनों आलोच्य निर्णयों का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया और दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया।

7– दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री दिनांक क्रमशः 31–03–1986 और 20–08–1999 के अवलोकन से जाहिर है कि वाद में विचारण न्यायालय द्वारा कुल 17 विवाद्यक, दादरसी विवाद्यक सहित, विरचित किये गये थे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्येक विवाद्यक के संदर्भ में साक्ष्य व दस्तावेजात की विवेचना करने के बाद विवाद्यक–वार निष्कर्ष अंकित करते हुये वादीगण का वाद डिक्री किया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी प्रत्येक विवाद्यक की विस्तृत विवेचना करने के बाद और स्पष्ट निष्कर्ष अंकित करने के बाद विचारण न्यायालय के निर्णय को न केवल बहाल रखा है, अपितु वादीगण के पक्ष में लगान की 15 गुणा पेनल्टी का अतिरिक्त अनुतोष भी दिया गया है, जो कि विचारण न्यायालय द्वारा

नहीं दिया गया था। इस प्रकार वादीगण का वाद डिक्री करने में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण द्वारा यह तर्क किया गया है कि जब दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष समवर्ती हों तो द्वितीय अपील के स्तर पर उक्त समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। द्वितीय अपील के दायरे (scope) को समझने के लिये उक्त धारा 224 का अवलोकन करना उचित है, जो निम्न प्रकार हैः–

> ***"224. Appeals from Appellate Decrees.-*** *(1) An appeal shall lie to the (Revenue Appellate Authority) from a decree passed in appeal by a Collector.*
> *(2) An appeal shall lie to the Board from a decree passed in appeal by (Revenue Appellate Authority)`on any of the following grounds, namely:-*
> *(i) the decision being contrary to law or to some usage having the force of law;*
> *(ii) the decision having failed to determine some material issue of law or usage having force of law;*
> *(iii) a substantial error or defect in the procedure provided by or under this Act or by any other law for the time being in force, which may possibly have produced an error or defect in the decision of the case upon the merits; and*
> *(iv) the decision being contrary to weight of evidence on record where the lower appellate court has varied or reversed any finding of the trial court on a question of fact."*

8– उपरोक्त विधिक प्रावधानों से स्पष्ट है कि प्रथम अपील में पारित निर्णय के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निम्न आधारों पर द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा सकती हैः–

(1) जबकि प्रथम अपील का निर्णय विधि के अथवा विधि के समतुल्य प्रभाव रखने वाली रीति रिवाज के विपरीत हो,

(2) जबकि प्रथम अपील के निर्णय में किसी महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु अथवा विधि के समतुल्य प्रभाव रखने वाले रीति रिवाज आधारित बिन्दु का विनिश्चयन नहीं किया गया हो,

(3) जबकि प्रथम अपील का निर्णय पारित करने में अधिनियम, 1955 में अथवा किसी अन्य प्रभावी विधि में दी गयी विधिक प्रक्रिया के उल्लंघन में सारभूत त्रुटि रह गयी हो, और

(4) जबकि प्रथम अपील का निर्णय पारित करते समय प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय के निर्णय को साक्ष्य अथवा दस्तावेजों के विपरीत उलट दिया हो अथवा बदल दिया गया हो।

स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गयी है, अतः उपरोक्त में से

आधार संख्या–4 हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होता है अर्थात दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय होने से तथ्यात्मक आक्षेपों के आधार पर हस्तगत द्वितीय अपील विचारणीय नहीं है, जब तक कि अपीलार्थी यह सिद्ध नहीं कर दे कि तथ्यात्मक साक्ष्य पर दोनों ही अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष विकृत (perverse) हैं। इस सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों में निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया गया हैः–

(1) मन्नीबाई एवं अन्य के प्रकरण– 1997 RBJ 476 में मण्डल की खण्ड पीठ द्वारा निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया गया हैः–

"It is also the settled position of law that in second appeal unless the judgment is perverse, unless certain points of law have arisen which require consideration, unless the learned judge has disregarded the procedure and there is a substantial error or defet in it or unless the Court below has failed to determine some material issue of law or usage or unless the decision is contrary to law, this Court should not easily upset the findings arrived at by the Court below." (para 9)

(2) लोहड़े एवं अन्य के प्रकरण–1997 RBJ 503 में भी राजस्व मण्डल की खण्ड पीठ द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि समवर्ती निष्कर्षों में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये, जब तक कि उक्त समवर्ती निष्कर्ष विकृत या उलटे (perverse) नहीं हों।

(3) कल्याण बनाम बालचन्द के प्रकरण– 1997 RBJ 528 में भी राजस्व मण्डल की खण्ड पीठ द्वारा निम्न प्रकार अभिनिर्धारण किया गया हैः–

" …….. unless there is error apparent on the face of record which vitiates the findings completely, till then this Court should not disturb the findings arrived at by the Trial Court." (para 8)

(4) श्रीमती आयशा एवं अन्य के प्रकरण– 1997 RBJ 554 में भी राजस्व मण्डल की खण्ड पीठ द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि समवर्ती निष्कर्षों में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि निर्णय में दृष्टव्य त्रुटि नहीं हो।

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों की रोशनी में हस्तगत द्वितीय अपील के स्तर पर तथ्यात्मक बिन्दुओं पर विचार व विवेचन अपेक्षित नहीं है। केवल विधिक बिन्दु पर ही अधिनियम, 1955 की धारा 24 के उपखण्ड (i) (ii) व (iii) के प्रावधानों की रोशनी में किया जा सकता है।

9– व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के प्रावधानों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 208 सपठित अनुसूची चतुर्थ द्वारा अपवर्जित/संशोधित नहीं किया गया है, जिसका आशय है कि संहिता, 1908 की उक्त धारा 100 अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत द्वितीय अपीलों पर भी लागू होती है क्योंकि उक्त धारा 100 के प्रावधान अधिनियम,

1955 के प्रावधानों से असंगत (inconsistent) नहीं हैं। संहिता, 1908 की उक्त धारा 100 निम्न प्रकार हैः–

> ***"100. Second Appeal.-*** *(1) Save as otherwise expressly provided in the body of this Code or by any other law for the time being in force, an appeal shall lie to the High Court from every decree passed in appeal by any Court subordinate to the High Court, if the High Court is satisfied that the case involves a substantial question of law.*
> *(2) An appeal may lie under this section from an appellate decree passed exparte.*
> *(3) In an appeal under this section, the* ***memorandum of appeal shall precisely state the substantial question of law*** *involved in the appeal.*
> *(4) Where the High Court is satisfied that a substantial question of law is involved in any case, it shall formulate that question.*
> *(5) The appeal shall be heard on the question so formulated and the respondent shall, at the hearing of the appeal, be allowed to argue that the case does not involve such question :*
> *Provided that nothing in this sub-section shall be deemed to take away or abridge the power of the Court to hear, for reasons to be recorded, the appeal on any other substantial question of law, not formulated by it, if it is satisfied that the case involves such question."*

उपरोक्त धारा 100 की उपधारा (3) के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि द्वितीय अपील के ज्ञापन में स्पष्ट रुप से (in a precise or exact manner) यह अंकित करना आज्ञापक है कि प्रस्तुत की जा रही द्वितीय अपील में कौन सा विधिक बिन्दु विचारणीय है? माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मालीराम बन्जारा के प्रकरण में निर्णय दिनांक 19–03–2013 (reported as 2013 (2) RRT 1202) में यह प्रतिपादित किया है कि सारवान विधिक प्रश्न (substantial question of law) के बिना अगर द्वितीय अपील पर विचार किया जा कर अपीलाधीन डिक्री को उलट दिया जाता है तो द्वितीय अपील में पारित ऐसा निर्णय अवैध है क्योंकि धारा 100 में द्वितीय अपील के प्रावधान धारा 96 में प्रथम अपील के प्रावधानों के समरुप नहीं हैं। द्वितीय अपील का प्रावधान ऐसे विधिक प्रश्न तक ही सीमित है जो कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से पैदा हुआ हो। हम उक्त निर्णय दिनांक 19–03–2013 का अनुच्छेद 5 नीचे उदधृत करना उचित समझते हैंः–

> *"5. It may, at the out-set, be noted that while formulation of a question of law is a sine qua non for maintainability of second appeal, but at the same time it is also equally well settled that if a second appeal is admitted on substantial question of law, the High Court, while hearing it finally, can* ***reframe substantial question of law or frame substantial question of law afresh*** *or even hold that no substantial question of law is involved but reversal of the judgment and decree passed in appeal by a Court subordinate to it in exercise*

of jurisdiction under section 100 of the Code, is impermissible without formulating a substantial question of law. Reference in this connection may be made to the following observation of the Supreme Court in Umerkahn Vs. Bismillabi- (2011) 9 SCC 684:-

> ***In our view, the very jurisdiction of the High Court in hearing a second appeal is founded on the formulation of a substantial question of law. The judgment of the High Court is rendered patently illegal, if a second appeal is heard and judgment and decree appealed against is reversed without formulating a substantial question of law. The second appellate jurisdiction of the High Court under Section 100 is not akin to the appellate jurisdiction under Section 96 of the Code; it is restricted to such substantial question or questions of law that may arise from the judgment and decree appealed against. As a matter of law, a second appeal is entertainable by the High Court only upon its satisfaction that a substantial question of law is involved in the matter and its formulation thereof. Section 100 of the Code provides that the second appeal shall be heard on the question so formulated. It is, however, open to the High Court to reframe substantial question of law or frame substantial question of law afresh or hold that no substantial question of law is involved at the time of hearing the second appeal but reversal of the judgment and decree passed in appeal by a court subordinate to it in exercise of jurisdiction under Section 100 of the Code is impermissible without formulating substantial question of law and a decision on such question."***

10— उपरोक्त अनुच्छेद 7, 8 व 9 में की गयी विवेचना के आधार पर सुस्पष्ट है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय होने से हस्तगत द्वितीय अपील प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के उपखण्ड (i) (ii) और (iii) तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 100 अनुसार केवल विधिक बिन्दुओं पर ही विचार किया जा सकता है। अतः देखना यह है कि द्वितीय अपील में विनिश्चयन हेतु इस प्रकरण में कौन से विधिक बिन्दु निहित हैं? विचारण न्यायालय द्वारा विरचित विवाद्यकों में से विवाद्यक संख्या 12—ए, 13 व 13—ए के अलावा सभी विवाद्यक तथ्यात्मक हैं जिनका निर्णय दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वादीगण के पक्ष में और प्रतिवादीगण/ अपीलार्थीगण के विरुद्ध किया गया है। विवाद्यक संख्या 7 व 8 में भी तथ्यों व विधि के मिश्रित बिन्दु निहित हैं। अतः इस न्यायालय के मतानुसार वादपत्र, वादोत्तर, आलोच्य निर्णयों व हमारे समक्ष दोनों पक्षों की बहस के आधार पर हस्तगत प्रकरण में द्वितीय अपील स्तर पर विनिश्चयन हेतु निम्न प्रकार विधिक बिन्दु निहित हैं:—

(1) क्या अनुसूचित जन जाति से सम्बन्धित प्रकरण होने से श्रीमती शोभा की वादग्रस्त भूमि में उसकी पुत्रियों/ वादीगण को कोई अधिकार नहीं मिलता है?

(2) क्या हरबक्स श्रीमती शोभा व उसके पति चीमा का गोदपुत्र था और उसके निधन के बाद प्रतिवादी जगन्नाथ उक्त हरबक्स का वारिस था?

(3) क्या प्रतिवादी जगन्नाथ के पक्ष में नामान्तरकरण खोला जाकर वादग्रस्त भूमि उसके खातेदारी में दर्ज करना विधि विरुद्ध था?

(4) दिनांक 21–07–63 को जगन्नाथ द्वारा कल्याण, काना, पोखर, पांचू आदि के पक्ष में भूमि का बेचान करने, दिनांक 28–08–63 को कल्याण द्वारा काना, जगन्नाथ व श्रीबक्स के पक्ष में भूमि का बेचान करने, दिनांक 20–08–63 को काना द्वारा कल्याण, लाला, झूथा के पक्ष में बेचान करने तथा दिनांक 28–08–63 को पोखर द्वारा जगन्नाथ, काना व श्रीबक्स के पक्ष में भूमि का बेचान करने का वादीगण के अधिकार–उदघोषणा के वाद पर क्या प्रभाव है?

(5) क्या दावा वादीगण राजस्व न्यायालय द्वारा सुनवाई किये जाने योग्य नहीं था?

(5) क्या वादीगण का दावा मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य था?

11– बिन्दु संख्या–1:– क्या अनुसूचित जन जाति से सम्बन्धित प्रकरण होने से श्रीमती शोभा की वादग्रस्त भूमि में उसकी पुत्रियों/ वादीगण को कोई अधिकार नहीं मिलता है?

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी–पक्ष का तर्क है कि अनुसूचित जनजाति समुदाय पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू नहीं होता है जिससे मु. शोभा की वादग्रस्त भूमि में पुत्रियों/ वादीगण/ प्रत्यर्थीगण को कोई अधिकार नहीं मिलता है। अतः वादीगण का अधिकार–उदघोषणा का दावा विचारणीय ही नहीं था। निस्सन्देह अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू नहीं होता है क्योंकि उक्त अधिनियम की धारा 2 (2) के प्रावधानानुसार भारत सरकार द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी है। हमारा मत है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 अनुसूचित जनजाति समुदाय पर लागू नहीं होने का सीधा सा अर्थ यह नहीं लिया जा सकता है कि उक्त समुदाय में पुत्रियों को हक नहीं मिलेगा। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है तो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की सम्पत्ति/ भूमि की विरासत उक्त अधिनियम के लागू होने से पूर्व से प्रचलित विधि से अथवा क्षेत्र विशेष की जनजाति विशेष में प्रचलित रुढि के अनुसार प्रशासित होगी। विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 1–ए (आया वादीगण विवादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है?) की विवेचना के उपरान्त अपना निष्कर्ष अंकित किया है कि **''जन जाति पर हिन्दु उत्तराधिकार लागू नहीं होता तो इसका निर्णय उनके वैयक्तिक कानून के अनुसार होगा। मु. शोभा के कोई लड़का नहीं था तो लड़कियां ही वारिस होंगी। ऐसी स्थिति में मु. शोभा की तीनों लड़किया ही उसकी सम्पत्ति की**

वारिस हैं तथा उन्हें वाद लाने का पूर्ण हक है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।'' इसी प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी इस विवाद्यक पर अपना मत व्यक्त किया है कि ''**मु. शोभा के कोई पुत्र नहीं था। इसलिये लड़कियां ही (वादीगण) उसका वारिस के आधार पर सही उत्तराधिकारिणी साबित होती हैं। यह सही है कि वादीगण अनुसूचित जन जाति से सम्बन्धित हैं, जिन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम पुत्र होने की स्थिति में लागू नहीं होगा, लेकिन इस मामले में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 4 के तहत वादीगण अनुसूचित जन जाति की होने के बावजूद भी उन्हें मु. शोभा से सम्बन्धित विवादग्रस्त आराजी में विरासतन हक हकूक पैदा हो जाते हैं। हम अपना विचार इस मामले में आर.आर.डी. 1998 पेज नं. 391 पर पूर्णतया आधारित करते हैं। इस प्रकार वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध उत्तराधिकार के आधार पर दावा लाने का पूर्ण हक है। जब वे मु. शोभा की कानूनी वारिस हैं तो सम्बन्धित राजस्व न्यायालय में खातेदारी घोषणा एवं बेदखली का दावा प्रस्तुत कर उन्हें कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है। अतः यह तनकी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से वादीगण के पक्ष में बखूबी साबित है।''** इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का समवर्ती निष्कर्ष है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 40 व वैयक्तिक कानून की दृष्टि से वादीगण वादग्रस्त भूमि में विरासतन खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण/ अपीलार्थीगण द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के इस समवर्ती निष्कर्ष को चुनौती तो अपील के माध्यम से दी गयी है किन्तु वह यह बताने में सफल नहीं रहे हैं कि यह निष्कर्ष क्षेत्र विशेष में रहने वाली अनुसूचित जनजाति अर्थात मीना जनजाति में प्रचलित किस परम्परा अथवा रुढि के विरुद्ध है। अन्यथा साबित नहीं करने की स्थिति में यह मानने का पर्याप्त आधार है कि मीना जनजाति में भी पुत्र वारिस नहीं होने की स्थिति में पुत्रियों को विरासतन अधिकार मिलने में कोई व्यवधान नहीं है। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा जिस न्यायिक दृष्टान्त– 1998 RRD 391 से समर्थन हासिल किया है, उसका भी हमने अवलोकन किया है। बीरम के वारिसान बनाम गंगाराम व अन्य के इस प्रकरण में राजस्व मण्डल की ही खण्ड पीठ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07–05–1998 में यह प्रतिपादित किया है कि अनुसूचित जनजाति के प्रकरण में जब पुत्र वारिस नहीं हों तो सम्पत्ति पुत्रियों को ही उत्तराधिकार में मिलेगी। हमारा मत है कि इस बिन्दु पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष सही हैं। **अनुसूचित जनजाति में पिता अथवा माता की सम्पत्ति में पुत्रियों को हक मिलने अथवा नहीं मिलने का प्रश्न तब सामने आता है जबकि किसी सम्पत्ति के पुत्र उत्तराधिकारी मौजूद हों। जब पुत्र उत्तराधिकारी नहीं हों और केवल पुत्रियां ही हों तो उन पुत्रियों को ही विरासतन अधिकार मिलेगा।**

12– बिन्दु संख्या–2:– क्या हरबक्स श्रीमती शोभा व उसके पति चीमा का गोदपुत्र था और उसके निधन के बाद प्रतिवादी जगन्नाथ उक्त हरबक्स का वारिस था?

गोद के प्रश्न को तथ्यात्मक साक्ष्य से ही सिद्ध किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या– 7 (आया मु. शोभा के पति ने अपनी जिंदगी में मुदाअलेह जगन्नाथ के सगे चचेरे भाई हरबक्स को गोद लिया था और हरबक्स ही मुतवफफा चीमा का वारिस हुआ?) व विवाद्यक संख्या– 8 (आया हरबक्स के फौत होने के बाद प्रतिवादी जगन्नाथ मीना उक्त हरबक्स का वारिस हुआ?) पर एक साथ विचार करते हुये, तथा प्रस्तुत साक्ष्य तथा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों की रोशनी में निष्कर्षांकन किया है कि गोद प्रमाणित नहीं होता है और इस कारण विवाद्यक संख्या 7 व 8 को प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णीत किया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी विवाद्यक संख्या–7 पर विचारण न्यायालय के निष्कर्ष का समर्थन करते हुये मत व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह साबित होता हो कि श्रीमती शोभा के पति द्वारा अपने जीवनकाल में जगन्नाथ के चचेरे भाई हरबक्स को गोद लिया गया हो। इस बिन्दु पर दो प्रश्न विचारणीय हैं, जिनका उत्तर ना तो दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों में है और ना हस्तगत द्वितीय अपील के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा स्थिति स्पष्ट की गयी है। **प्रथम प्रश्न यह है कि अगर हरबक्स श्रीमती शोभा के पति चीमा का गोदपुत्र है तो चीमा का निधन होने पर वादग्रस्त भूमि की खातेदारी उसके नाम दर्ज नहीं होकर अकेली श्रीमती शोभा के नाम क्यों दर्ज हुई? यह तथ्य इस बात का प्रथम दृष्टया प्रमाण है कि हरबक्स श्रीमती शोभा व उसके पति चीमा का गोदपुत्र नहीं था। दूसरा विचारणीय प्रश्न यह है कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने लिखित कथन (written statement) के साथ जो वंशवृक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार हरबक्स अपने पिता कुशला का इकलौता पुत्र है। परम्परा व विधि अनुसार कोई भी इकलौता पुत्र गोद नहीं दिया जा सकता है क्योंकि पुत्रहीन दम्पत्ति अन्य दम्पत्ति के पुत्र को गोद इस लिये लेते हैं कि पुत्र द्वारा उनकी मृत्यु के बाद क्रियाकर्म व आवश्यक संस्कार पूरे किये जा सकें, जिससे उनका मोक्ष हो सके। अगर किसी दम्पत्ति का इकलौता पुत्र किसी अन्य को गोद दे दिया जावेगा तो ऐसे पुत्र के जैविक माता–पिता पुत्रहीन हो जावेंगे और उनकी मृत्यु के बाद क्रियाकर्म व अन्य आवश्यक संस्कार पूरे करने वाला कोई नहीं बचता है।** अतः हमारा मत है कि कुशला का इकलौता पुत्र होने के कारण हरबक्स का श्रीमती शोभा व उसके पति चीमा के गोद जाना स्थापित परम्परा व विधि के विपरीत है। अतः ठोस साक्ष्य के अभाव हरबक्स का गोद जाने का तथ्य साबित नहीं है। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त– **1995 RRD 448 (case Sukhi versus Ramesh Chandra & anr)** में यह प्रतिपादित किया गया कि गोद को साबित करने का दायित्व उस व्यक्ति पर है जो गोद के आधार पर हक चाहता है। उसे तब तक उत्तराधिकार

नहीं मिलेगा जब तक कि वह सक्षम न्यायालय से अपने अधिकार घोषित नहीं करा लेता है। जब हरबक्स श्रीमती शोभा व चीमा का गोदपुत्र ही साबित नहीं है तो विवाद्यक संख्या–8 में निहित यह प्रश्न परिणामस्वरुप ही सारहीन हो जाता है कि हरबक्स के फौत होने के बाद जगन्नाथ उसका वारिस हुआ। जगन्नाथ अगर उक्त हरबक्स का वारिस भी है तो इसके आधार पर भी वह श्रीमती शोभा व चीमा का वारिस नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वयं हरबक्स ही श्रीमती शोभा व चीमा का वारिस साबित नहीं है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण का एक तर्क यह भी है कि जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में राजगामी (Escheat) कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी थी, और उक्त कार्यवाही को इस आधार पर समाप्त किया गया था कि जगन्नाथ उक्त श्रीमती शोभा का वारिस है। वादीगण का श्रीमती शोभा की पुत्रियां होना सर्वथा स्वीकृत एवं अविवादित तथ्य है। हमारा मत है कि जब श्रीमती शोभा की पुत्रियां थीं तो जिला कलेक्टर द्वारा राजगामी कानून के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही ही पूर्ण सूचना के अभाव में की गयी निराधार व अवैध कार्यवाही थी और ऐसी कार्यवाही में अगर अपूर्ण सूचना के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा जगन्नाथ को वादग्रस्त भूमि का वारिस मान भी लिया गया तो इससे वास्तविक वारिसान श्रीमती शोभा की पुत्रियों वर्तमान वादीगण के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं। जिला कलेक्टर द्वारा की गयी ऐसी किसी भी कार्यवाही से वादीगण अपना अधिकार उदघोषणा का वाद लाने से वर्जित / विवर्तित (precluded) नहीं हैं।

13– बिन्दु संख्या–3:– क्या प्रतिवादी जगन्नाथ के पक्ष में नामान्तरकरण खोला जाकर वादग्रस्त भूमि उसके खातेदारी में दर्ज करना विधि विरुद्ध था?

जगन्नाथ के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण व अभिलिखित खातेदारी का एक मात्र आधार यह है कि हरबक्स श्रीमती शोभा व उसके पति का गोदपुत्र था और उक्त हरबक्स की मृत्यु के बाद जगन्नाथ उसका वारिस होने के कारण वादग्रस्त भूमि का वास्तविक हकदार था। पूर्व में अनुच्छेद 12 में बिन्दु संख्या–2 पर किये गये विवेचन से यह साबित हो चुका है कि हरबक्स का श्रीमती शोभा व उसके पति चीमा के गोद जाना साबित नहीं है। जब हरबक्स ही श्रीमती शोभा का गोदपुत्र व वारिस नहीं है तो उसका कथित वारिस जगन्नाथ भी श्रीमती शोभा की वादग्रस्त भूमि का हकदार व खातेदार नहीं हो सकता है। उसके पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण अनाधिकृत व अवैध है। यह निर्विवाद है कि वादीगण / प्रत्यर्थीगण श्रीमती शोभा की पुत्रियां हैं और घोषणात्मक दावा लेकर आयी हैं। प्रतिवादी जगन्नाथ ने अपने लिखित कथन दिनांक 07–01–1964 की मद संख्या–6 में उक्त नामान्तरकरण (दाखिल खारिज तारीख 09–04–61) को अपनी खातेदारी का आधार बनाया है। यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त नामान्तरकरण दिनांक 09–04–1961

स्वीकृत करने से पूर्व वादीगण को कोई नोटिस आदि भी नहीं दिया गया था या नहीं। पूर्व में उल्लिखित न्यायिक दृष्टान्त– 1995 RRD 448 में पुत्रियों को नोटिस दिये बिना कथित गोदपुत्र के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण को अवैध मान कर अपास्त किया गया है और पुत्रियों व विधवा के नाम नामान्तरकरण खोलने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा 1993 RRD 415 (Case of State of Rajasthan versus Gopal singh & anr) में यह भी प्रतिपादित किया गया हे कि नामान्तरकरण केवल वित्तीय कार्यवाही (fiscal proceedings) है। एक पक्षकार, जो विधिक उत्तराधिकारी नहीं है, इस आधार पर अधिकार नहीं मांग सकता कि उसे नामान्तरकरण द्वारा हिस्सा मिल चुका है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी मंगल राम एवं अन्य बनाम राजस्थान राजस्व मण्डल, अजमेर एवं अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 08–02–2012 (reported at 2012 (2) RRT 921) में यह प्रतिपादित किया है किः–

> *"….. … this court cannot overlook the fact that revenue entries (Jamabandis) are merely fiscal in nature and not conclusively indicative of title and ownership."*

14– बिन्दु संख्या–4:– दिनांक 21–07–63 को जगन्नाथ द्वारा कल्याण, काना, पोखर, पांचू आदि के पक्ष में भूमि का बेचान करने, दिनांक 28–08–63 को कल्याण द्वारा काना, जगन्नाथ व श्रीबक्स के पक्ष में भूमि का बेचान करने, दिनांक 20–08–63 को काना द्वारा कल्याण, लाला, झूथा के पक्ष में बेचान करने तथा दिनांक 28–08–63 को पोखर द्वारा जगन्नाथ, काना व श्रीबक्स के पक्ष में भूमि का बेचान करने का वादीगण के अधिकार–उदघोषणा के वाद पर क्या प्रभाव है?

इस बिन्दु में संदर्भित सभी बेचान दिनांक 21–07–63 को जगन्नाथ द्वारा किये गये बेचान पर आधारित हैं और जगन्नाथ द्वारा किये गये उक्त बेचान दिनांक 21–07–63 का आधार यह है कि जगन्नाथ के पक्ष में नामान्तरकरण दिनांक 09–04–1961 स्वीकृत होकर वह वादग्रस्त भूमि का अभिलिखित खातेदार हो गया था। पूर्व में बिन्दु संख्या 3 की विवेचना के दौरान अनुच्छेद 13 में इस न्यायालय का यह मत अंकित किया जा चुका है कि प्रतिवादी जगन्नाथ के पक्ष में स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण ही गलत था और श्रीमती शोभा की पुत्रियों व वास्तविक विधिक वारिसान के हितों के विरुद्ध उक्त नामान्तरकरण व उसके आधार पर अभिलिखित खातेदारी निष्प्रभावी व शून्य थी। ऐसे अनाधिकृत नामान्तरकरण व अवैध खातेदारी के आधार पर जगन्नाथ द्वारा किया गया बेचान दिनांक 21–07–63 तथा उसके पश्चातवर्ती बेचान भी वादीगण के हितों के विपरीत शून्य व प्रभावहीन थे। वादीगण का दावा अपने पिता व माता की भूमि में विरासत के आधार पर खातेदारी घोषणा हेतु था और अवैध नामान्तरकरण व अवैध खातेदारी के आधार पर किये गये बेचान विरासतन आधार पर प्रस्तुत अधिकार–उदघोषणा के वाद के मार्ग में बाधक नहीं हो सकते हैं। विवाद्यक

संख्या–12 एवं 12–ए का निर्णय करते समय विचारण न्यायालय का भी यही निष्कर्ष है कि जगन्नाथ श्रीमती शोभा का वारिस नहीं था, जिससे उसके द्वारा किया गया विक्रय विधि के विपरीत है और वादीगण विक्रय पत्रों से पाबन्द नहीं हैं। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी विचारण न्यायालय के मत का समर्थन करते हुये निष्कर्षांकन किया है कि जगन्नाथ के नाम राजस्व अंकन और उसके द्वारा किया गया बेचान दिनांक 21–07–63 अनाधिकृत व अवैध होने से वादीगण उक्त बेचानों से पाबन्द नहीं हैं। वैसे भी अगर किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा हेरफेर से या मिली भगत से राजस्व अभिलेख में अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज करा लिया, इसका अर्थ यह नहीं है कि वास्तविक हकदार होने का दावा करने वाला व्यक्ति ऐसे अंकनों को घोषणात्मक दावे के माध्यम से चुनौती नहीं दे सकता है। सारांशतः इस न्यायालय का यह मत है कि जगन्नाथ द्वारा अनाधिकृत खातेदारी के आधार पर किया गया बेचान दिनांक 21–07–1963 और उसके आधार पर किये गये पश्चातवर्ती बेचान वादीगण के घोषणात्मक वाद के विरुद्ध शून्य प्रभाव रखते हैं।

15– बिन्दु संख्या–5:– क्या वादीगण का दावा राजस्व न्यायालय द्वारा सुनवाई किये जाने योग्य नहीं था?

यह बिन्दु प्रतिवादी पक्ष द्वारा उठायी गयी आपत्ति पर आधारित है। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण/ प्रतिवादीगण का तर्क है कि जगन्नाथ द्वारा भूमि का विक्रय कर दिया गया है और उक्त विक्रय के बाद और भी विक्रय हो चुके हैं तथा क्रेतागण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो चुके हैं। चूंकि बेचानपत्रों को शून्य घोषित करने तथा निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है, अतः जब तक उक्त बेचान पत्रों को सक्षम व्यवहार न्यायालय से निरस्त नहीं करा लिया जाता है, तब तक राजस्व न्यायालय में वादीगण/प्रत्यर्थीगण का घोषणा व कब्जा प्राप्ति का दावा नहीं चल सकता है। विधि की सुस्थापित स्थिति यह है कि वाद में किये गये अभिवचनों व चाहे गये मुख्य अनुतोष के आधार पर ही न्यायालय का श्रवणाधिकार तय होता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के अभिवचनों का सारांश, जैसा कि पूर्व में अनुच्छेद 2 (2) में वर्णित है, इस प्रकार है कि विवादित आराजी कुल किता 32 खसरा नम्बरान रकबा 72 बीघा 16 बिस्वा ग्राम काचरिया तहसील निंवाई जिला टोंक में अवस्थित है, जो श्रीमती शोभा बेवा चीमा की खातेदारी की भूमि थी। उक्त शोभा फागुन संवत् 2014 में फौत हो चुकी हैं। वादीगण स्व. श्रीमती शोभा की बेटियां तथा उसकी कायम मुकाम विधिक वारिसान हैं। प्रतिवादी जगन्नाथ ने विवादित आराजी का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया, जबकि वादीगण के विरुद्ध प्रतिवादी जगन्नाथ को कोई हक श्रीमती शोभा की वादग्रस्त भूमि पर नहीं था। उक्त अवैध नामान्तरकरण के आधार पर जगन्नाथ ने वादग्रस्त भूमि मे से कुछ भूमि का बेचान भी कर दिया है। वादीगण ने दावा प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा कि श्रीमती शोभा की वादग्रस्त भूमि में वादीगण को खातेदार

घोषित किया जावे, प्रतिवादीगण 1 व 6 लगायत 14 के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण को निरस्त किया जावे, वादग्रस्त भूमि को वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे और अगर भूमि के किसी हिस्से पर प्रतिवादीगण का कब्जा हो तो उससे प्रतिवादीगण को बेदखल किया जा कर वादीगण को कब्जा दिया जावे। इस प्रकार सारांशतः वादीगण का दावा अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 183 का है और उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 5 व 23 अनुसार इस प्रकार का दावा राजस्व न्यायालय द्वारा ही विचारणीय है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जसवन्तसिंह बनाम राजस्व मण्डल, राजस्थान के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 22–03–1984 (reported at 1984 RRD 851) में 1954 RLW 184, 1977 RLW 143, 1977 RLW 131 & AIR 1969 Allahabad 526 में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुय यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वादपत्र के सारांश (pith and substance of the plaint) और चाही गयी मुख्य अनुतोष (main relief) के आधार पर ही न्यायालय का श्रवणाधिकार निश्चित किया जाना चाहिये। हो सकता है कि कुछ ऐसी आनसंगिक अनुतोष (ancilliary relief) हों, जो दृष्टव्य रुप से राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार की नहीं हों किन्तु अगर मुख्य अनुतोष (main relief) राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार की हो तो वाद का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय का ही है। सुलभ संदर्भ के लिये उक्त निर्णय दिनांक 22–03–1984 के अनुच्छेद 4, 5, 6, 7 व 10 नीचे उदधृत किये जा रहे हैंः–

> *"4. It is well settled that the **question of jurisdiction ought to be decided on the basis of allegations made in the plaint.** There is no doubt that some times the plaint is so drafted as to camouflage the real purpose thereof and as such it has often been held that the substance of the plaint should be considered by the court for the purpose of determination of the question of jurisdiction*
>
> *5. In Chandanmal v. Dawar 1954 RLW 184, it was observed that the **question of jurisdiction must be initially determined on the basis of the allegations made in the plaint and that the substance of the plaint and its main object should be kept in view and not merely its outward form.** Modi J., observed in that case that if the aforesaid principles were not kept in view it may be open to a party to evade the liability as to exclusiveness of jurisdiction. However, it was made clear that care should be taken not to introduce anything in the plaint which may not be found there or which may be foreign to its man purpose. In another decision, in the case of Sukhlal and Ors. v. Devilal and Ors. Modi J., speaking for the court, enunciated the true principles, by observing that **the plaint as a whole should be looked at and that the substance of the plaint and not its ostensible form really matters.** Further nothing should be imported into the plaint, which it really does not*

contain, either actually or by necessary implication. Thus, a plaint should be construed as it is and not as it ought to be.

6. In Ratanlal v. Gram Panchayat Agolai 1977 RLW 143, one of us, sitting singly observed as under:-
It is well settled that the ***question of jurisdiction has to be decided on the basis of the averments made in the plaint. It is of course true that not only the relief claimed in the plaint but all the allegations made therein should be taken into consideration for the purpose of deciding the question as to whether the suit is exclusively triable by a revenue court or not.*** *The court must be guided by the substance of the plaint and not merely by its form. Therefore, in order to arrive at a correct conclusion on the question of jurisdiction, the substance of the plaint must be taken into consideration to find out the true nature or the object of the suit.*

7. In Shyam Kumar v. Budh Singh 1977 RLW 131 Sachar, J. observed as under:-
It is well settled that the question of jurisdiction, namely, whether a suit is .exclusively triable by a revenue court or a civil court can take cognizance of it has to be decided on the allegations made in the plaint. It is also further settled that it is the substance of the plaint and the true nature of the suit that is to be seen to determine the question of jurisdiction. ***If in substance, the relief claimed is one which the revenue courts alone are entitled to give the jurisdiction of the civil courts will be ousted even though it may require the revenue court to incidentally determine some ancillary facts."***

10. In Ramawalamb and Ors. v. Jata Shankar and Ors. (AIR 1969 Allahabad 526) a Full Bench of the Allahabad High Court classified cases under the following two sub-heads on the basis of relief claimed or ostensibly claimed in the suit:-

(a) Where several reliefs closely connected with each other can be claimed on the basis of the cause of action set forth in the plaint it has to be examined which of them is the main relief and which others are ancillary reliefs If upon a consideration of facts constituting the cause of action the main relief is such which can be granted by the civil court the suit will be cognizable in the civil court which will proceed to grant the ancillary reliefs also. On the other hand if the main relief is specifically cognizable by a revenue court only, but ancillary reliefs may be such as could be granted by the civil court, the matter was cognizable only be a revenue court.

(b) The pith and substance of the allegation made in the plaint constituting the cause of action must be scrutinized in order to determine whether or not if on the same cause of action any adequate or satifactory alternative remedy could be available to the plaintiff in the revenue court. If the answer to the scrutiny be in the affirmative, then the suit brought in the civil court must fail regardless of the consideration that in respect of the reliefs actually claimed the suit was on the face of it cognizable, by a civil court."

माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान द्वारा रामकृपाल दास जी चेरिटेबल ट्रस्ट बनाम फूलचन्द एवं अन्य के प्रकरण– 2012 (2) RRT 927 में पारित निर्णय दिनांक 29–02–2012 का उल्लेख करना भी प्रसंगवश उपयुक्त है। उक्त प्रकरण के तथ्य इस प्रकार थे कि न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जयपुर में घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु एक सिविल वाद दायर किया गया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 389/1/1 रकबा 17 बिस्वा का मौखिक दान खातेदार द्वारा महाराज श्री रामकृपालदास जी को मन्दिर निर्माण के प्रयोजनार्थ 1984 में किया गया था। उक्त भूमि पर मन्दिर भी 1985 में निर्मित कराया जा चुका है। उक्त भूमि ''आबादी'' में आ चुकी है और वादी/अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि के मालिकाना हक की घोषणा कराने का अधिकारी है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा वाद को राजस्व न्यायालय में श्रवण योग्य पाया। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के सामने आने पर श्रवणाधिकार के बिन्दु पर (पेरा 14 में) निम्न प्रकार अभिनिर्धारण (2012 (2) RRT 927) किया गयाः–

"It cannot be disputed that a suit for declaration of tenancy rights regarding an agricultural land has to be filed under Section 88 whereas a suit for permanent injunction has to be filed under Section 188 of the Rajasthan Tenancy Act. Section 207 of the Rajasthan Tenancy Act provides that all suits of the nature specified in the III Schedule of the Act shall be heard and determined by a revenue court and no court other than a revenue court shall take cognizance of any such suit. A suit for declaration finds place in Item No.5 whereas suit for permanent injunction finds place in Item No.23-C of the III Schedule. It is thus, very much clear that the present suit was clearly barred by law as Section 207 of the Rajasthan Tenancy Act bars such a suit from being taken cognizance and considered by a court other than a revenue court. The learned trial Court has rightly arrived at a conclusion that the suit is not entertainable by a civil Court."

उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस न्यायालय का मत है कि वादीगण का वाद कृषि भूमि में विरासत के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा व कब्जा प्राप्ति का होने के कारण राजस्व न्यायालय के ही

श्रवणाधिकार का है। प्रतिवादीगण / वर्तमान अपीलार्थीगण द्वारा इस सम्बन्ध में उठायी गयी आपत्ति सारहीन होने से खारिज की जाती है।

16— बिन्दु संख्या—6:— क्या वादीगण का दावा मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य था?

यह बिन्दु भी प्रतिवादीगण / अपीलार्थीगण द्वारा उठायी गयी आपत्ति पर ही आधारित है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी पक्ष का तर्क है कि वादीगण द्वारा कब्जा प्राप्ति बाबत जो अनुतोष चाहा गया है वह मियाद बाहर है। यद्यपि अपील ज्ञापन में इस तथ्य को स्पष्ट नहीं किया गया है तथापि मौखिक बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण का तर्क है कि वादीगण द्वारा 1963 में मूल वाद केवल घोषणा हेतु ही प्रस्तुत किया गया था जिसे संशोधित करके 1984 में कब्जा प्राप्ति हेतु भी अनुतोष जोड़ा गया है, जबकि प्रतिवादी जगन्नाथ के नाम 1961 में स्वीकृत नामान्तरकरण से जाहिर है कि उसका कब्जा 1961 से ही है। इस प्रकार कब्जा प्राप्ति हेतु वादीगण का दावा मियाद बाहर है। यह सर्वथा स्वीकृत है कि मु. शोभा की वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण प्रतिवादी जगन्नाथ के नाम दिनांक 09—04—1961 को स्वीकृत हुआ है और वादीगण द्वारा घोषणात्मक दावा दिनांक 16—09—1963 को प्रस्तुत किया था, जिसमें दिनांक 29—08—1964 को यह संशोधन किया गया है कि प्रतिवादीगण को बेदखल करके वादग्रस्त भूमि का कब्जा दिलाया जावे। इस बिन्दु पर हमने विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न तरमीम दावा (amended plaint) का अवलोकन किया जो कि दिनांक 29—08—1964 को ''**दावा इस्तकरार हक व कब्जा आराजी**'' शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है और उसकी मद संख्या 9 (दादरसी) में निवेदन किया गया है कि **''दावा मुदईयान खिलाफ मुदाअलेहम बाबत इस्तकरारहक डिक्री फरमाया जावे और करार दिया जावे कि आराजयात मुनदरजस शिडूल हाजा के खातेदार काश्तकार मुदईयान हैं और दाखिल खारिज जो मुदाअलेह जगन्नाथ के नाम मन्जूर हुआ है वह मनसूख फरमाया जावे और रिकॉर्ड़ ऑफ राइट्स में मुदईयान का नाम बतौर खातेदार दर्ज फरमाया जावे। खरचा मुकदमा दिलाया जावे और अल्टरनेटिवली मुदाअलेह नं. 1 का कब्जा जिन नम्बरान पर साबित हो उन नम्बरान से मुदाअलेह जगन्नाथ को बेदखल किया जाकर मुदईयान को कब्जा दिलाया जावे।**'' इस प्रकार विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा इस बिन्दु बाबत प्रस्तुत तर्क तथ्यों से परे है। वैसे भी वादीगण का मूल दावा वास्ते घोषण्णत्मक है और घोषणात्मक दावे के लिये अधिनियम, 1955 की तृतीय सूची की प्रविष्टि संख्या 5 अनुसार कोई मियाद निर्धारित नहीं है। अतः इस न्यायालय का निष्कर्ष है कि मियाद के बिन्दु पर प्रस्तुत आपत्ति आधारहीन है और खारिज की जाती है।

17— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण की हैसियत अतिक्रमी की नहीं थी, किन्तु

फिर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उन्हें अतिक्रमी करार देते हुये लगान की 15 गुणा राशि की पेनल्टी लगायी गयी है। पूर्व विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि 1961 में जगन्नाथ के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण व खातेदारी अवैध थीं और उक्त अवैध खातेदारी के आधार पर जगन्नाथ द्वारा दिनांक 21–07–1963 को किया गया बेचान व उसके बाद किये गये पश्चातवर्ती बेचान अनाधिकृत व अवैध थे। अनाधिकृत बेचानों के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा भी अनाधिकृत था, जो अतिक्रमण की श्रेणी में ही आता है। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को अतिक्रमी मान कर लगान की 15 गुणा राशि की पेनल्टी लगाने के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है।

18– उपरोक्तानुसार विवेचना के आधार पर इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि प्रस्तुत दोनों द्वितीय अपीलें सारहीन हैं, और प्रथम अपीलीय न्यायालय के अलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 20–08–1999 में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। सारांशतः हस्तगत दोनों अपीलें खारिज किये जाने योग्य हैं।

19– परिणामतः हस्तगत दोनों अपीलों को एतदद्वारा खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(आर.सी. गुप्ता)
सदस्य

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य